2019/00034

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

देवीलाल बनाम पियुष लोहिया व अन्य वगै

किस्म मुकदमा धारा 225 आरटीए **नम्बर.....७७ 2019**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.19	अभिभाषक अपीलांट श्री राजेन्द्र शिमला व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से श्री हरीश कोठारी उपस्थित। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश हुई जो ताबे मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही डेह तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 362 तादादी 6.33 हेक्टर माईनिंग के लिए सहमति के आधार पर अपीलांट को लीज पर दे रखी है। वादगत् भूमि का पूर्व खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा लीज शर्ता के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को विक्रय किया जा चुका है। माईनिंग विभाग ने अपीलांट के पक्ष में लीज जारी कर रखी है। अपीलांट द्वारा लीज हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 362 वाके रोही डेह का सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त रिकार्ड पर खनिज विभाग ने सर्वे करवाया गया तथा उक्त रिपोर्ट खनिज विभाग में प्रस्तुत भी की गई। जिसकी जॉच तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई तथा जॉच सही पाये जाने पर अपीलांट के पक्ष में माईनिंग लीज का पट्टा भी जारी कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि वादगत् भूमि रामलाल पुत्र पाबूराम जाति मेघवाल के नाम से दर्ज थी। जोकि अनुसूचित जाती का सदस्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वर्ण जाती का है। ऐसी स्थिति में किसी भी आदेश या किसी अन्य तरीके से वादगत् भूमि के हक व हकूक स्थानान्तरण नहीं किये जा सकते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य व्यक्ति पमाईश के बहाने से अनुसूचित जाती की कृषि भूमि पर काबिज होना चाहते है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट के धारण की भूमि पर एकतरफा तौर पर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। जिसके वे कतई	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा भी बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। जबकि तमाम दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि पर नियमानुसार माईनिंग का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। अपीलाधीन आदेश के कारण अपीलांट की माईनिंग कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है।

चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि अपीलांट को माईनिंग कार्य से रोका गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–02–2019 की पालना ताफैसला अपील स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी हर वर्ष काश्त करता आ रहा है। वादगत् भूमि से अपीलांट का कोई लेना–देना नहीं है। ना ही अपीलांट खातेदार अथवा काश्तकार है। वादगत् भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिांक 31–12–2018 को सीमाज्ञान करने के आदेश प्रदान किये गये व दिनांक 09–01–2019 को नियमानुसार वादगत् भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने पर जानकारी मिली की वादगत् भूमि की दक्षिण दिशा में बजरी की क्रेशर मशीनें लगा रखी है तथा मकान व बजरी, सफेद मिट्टी का ऑवर बर्डन प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि पर डाल रखा है तथा वादगत् भूमि की दक्षिणी दिशा की कुछ भूमि में बजरी का अवैध रूप से खनन भी किया गया है। जिसका अपीलांट/अप्रार्थीगण को कतई अधिकार नहीं है।

उन्होनें आगे बताया कि उक्त स्थिति सामने आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा 04–02–2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई कि अप्रार्थीगण वादगत् भूमि तहसील कोलायत के मौजारोही डेह के खेत खसरा नम्बर 361 तादादी 12.65 हेक्टर भूमि की आगामी दिनांक 28–02–2019 तक निर्माण कार्य आदि नहीं

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

Scanned by CamScanner

करें ना ही किसी प्रकार का ऑवर बर्डन डालें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है क्योंकि अदालत मातहत के समक्ष गुणावगुण पर निर्णय होना शेष है।

चूंकि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट का कोई लेना–देना नहीं है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में साबित हैं अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 04–02–2019 जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र दिनांक 01–02–2019 को पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04–02–2019 को रेस्पोडेन्ट नं. 1/प्रार्थी को एकतरफा सुनकर आगामी पेशी दिनांक 28–02–2019 तक विवादित भूमि में किसी प्रकार के निर्माण कार्य आदि नहीं करने व ना ही किसी प्रकार का ऑवर बर्डन डालने व मौके की यथास्थिति कायम करने के आदेश पारित किये तथा अप्रार्थीगण/अपीलांट को उजर एतराज हेतु जरिये वकालतन व असालतन दिनांक 28–02–2019 को उपस्थित होने के निर्देश दिये है।

प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर उक्त आदेश के विरुद्व अपील के माध्यम से न्यायालय हाजा में उपस्थित आये है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04–02–2019 को पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है तथा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट/प्रार्थी को सुनवाई के लिए दिनांक 28–02–2019 निर्धारित की हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को चाहिए था कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी दिनांक को उपस्थित होकर अपना

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

मत व्यक्त करते। लिहाजा न्यायालय हाजा इस अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी दिनांक अर्थात 28–02–2019 को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर निष्फल धोषित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्तर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
[redacted]
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner